



प्रेस विज्ञप्ति

04/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 02.01.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और दिल्ली में 14 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई **मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड** और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई। तलाशी अभियान के दौरान बैंक बैलेंस, 5.4 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड और अचल संपत्तियों की खरीद से संबंधित अन्य साक्ष्य फ्रीज किए गए।

ईडी ने बैंकों के संघ(कंशॉर्टियम) से 4957 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अजीत कुलकर्णी और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटरों ने विभिन्न फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन की लेयरिंग के उद्देश्य से विभिन्न आवास प्रविष्टि प्रदाताओं की सेवाएं लीं। अचल संपत्तियों की खरीद के लिए विभिन्न कंपनियों को धन हस्तांतरित करने के लिए संदिग्ध तृतीय-पक्ष लेनदेन किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।